न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/135

मांगी बाई उर्फ मन्जू बाई पुत्री कन्हैयालाल जाति माली निवासी सीमलिया तहसील दीगोद हाल निवासी ग्रान्ट होटल की गली रामपुरा कोटा

– अपीलांट

बनाम

1. कुन्जबिहारी पुत्र राजमल जाति माली
2. गायत्री बाई पत्नि राजमल जाति माली
3. दुलारी बाई पत्री राजमल जाति माली
4. रेखा पुत्री राजमल जाति माली
5. ललिता पुत्री राजमल जाति माली
6. मांगीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति माली
7. हेमराज पुत्र मांगीलाल जाति माली
   निवासीगण सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 31.07.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 32/2023 मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नम्बर नया 230 व पुराना 178 पर निम्न खसरा नम्बरान की भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 पेश है। खसरा नम्बर 157 की 0.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 222 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 246 की 0.02 हेक्टर, खसरा

नम्बर 278 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 285 की 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 287 की 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 290 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 44 की 3.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 692 की 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 83 उत्तर की 0.45 हेक्टर कुल 10 किता की 5.38 हेक्टर स्थित है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नं० 1 ता 5 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादीगण प्रत्येक का 449/8070 हिस्सा व प्रतिवादी नं० 1 का 89/538 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 2 व 3 का 449/1614, 449/1614 हिस्सा दर्ज है तथा वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमियों में वादीगण का 2249/8070 हिस्सा है और अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि शामलाती खाते में दर्ज होने के कारण आये दिन वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कडता लगान जमा करने में विवाद व झगड़ा होने लग गया है। इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 से उपरोक्त भूमि का विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। प्रतिवादीगण एक राय होकर आये दिन वादीगण के 2249/8070 हिस्से के कब्जे में दखल पैदा करते है ओर बंटवारा की कहने पर बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया तथा दिनांका 5–5–2023 को प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि पर आये ओर वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत पैदा की तथा आयन्दा भूमि की हंकाई करने से इन्कार कर दिया कहाकि वे स्वंय की भूमि की हंकाई करेगें तथा यह भी कहा कि वे बिना बंटवारा कराये ही उपरोक्त भूमि के हिस्से को बेचान व खुर्द बुर्द कर देगे। जबकि प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 को बिना बंटवारा कराये उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने व वादीगण के 2249/8070 हिस्से की कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण उपरोक्त भूमि के 2245/8070 हिस्से के खातेदार है। इस कारण वादीगण के लिये उपरोक्त भूमि का विभाजन कराना व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से उक्त अवैध कृत्य करने से रोका जाना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु यह वाद पेश है। वाद कारण प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 द्वारा वादीगण को बंटवारा करने से इन्कार करने व वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व आयन्दा भूमि की हंकाई करने से इन्कार कराने तथा बिना बंटवारा कराये दिनांक 5–5–2023 को भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर पैदा हुआ। अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी गण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे– (1) कि वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित भूमि ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 157 की 0.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 222 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 246 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 278 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 285 की 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 287 की 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 290 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 44 की 3.26 हेक्टर,

खसरा नम्बर 692 की 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 83 उत्तर की 0.45 हेक्टर कुल 10 किता की 5.38 हेक्टर का वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादीगण के 2249/8070 हिस्से की भूमि को अलग खाते दर्ज किये जाने व अलग से लगान कायम किये जाने की डिकी पारित की जावे । (2). यह कि स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 157 की 0.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 222 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 246 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 278 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 285 की 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 287 की 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 290 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 44 की 3.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 692 की 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 83 उत्तर की 0.45 हेक्टर कुल 10 किता की 5.38 हेक्टर भूमि में से 2249/8070 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे, काश्त करने से नहीं रोके ओर उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को बिना विभाजन कराये खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे। (3) यह कि प्रतिवादी नं0 4 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे। (4) कि वादीगण को प्रतिवादीगण से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावे। (5) अन्य सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2024 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की तथा दिनांक 24.12.2024 को वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस

तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2024 अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपनी और से अधिवक्ता नियुक्त कर पूर्ण फीस अदा कर दी थी तथा वकील साहब द्वारा अपीलान्ट को तारीख पेशी पर आने से मना कर दिया था आवश्यकता पड़ने पर सूचना देने को कहा था अपीलान्ट वकील साहब के भरोसे रही किन्तु वकील साहब द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलान्ट प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की के.वाई.सी करवाने गई तो उसको उक्त तथ्य की जानकारी दिनांक 12–5–2025 को हुई उक्त तथ्य की जानकारी होते ही वकील साहब से जानकारी की उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर नकल प्राप्त की तथा नकल प्राप्त कर यह अपील पेश है जो कि सर्व प्रथम जानकारी की दिनांक 12–5–2025 से अवधि मध्य पेश है। अतः प्रार्थना है कि निर्णय एवं डिक्री जेर अपील दिनांक 24–12–24 से अपीलान्ट को सर्व प्रथम जानकारी की दिनांक 12–5–25 तक की डिले कन्डोन की जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार की जावे। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है। पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत विभाजन आराजी का वाद अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 25–6–24 को प्रिलीमीनरी निर्णय एवम डिक्री पारित किया गया उक्त निर्णय एवम डिक्री की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील से विभाजन प्रस्ताव बाबत फाइनल डिक्री पारित करने हेतु विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई ना ही

विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव को मानकर निर्णय एवम डिकी जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव आने पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा मुताबिक प्रारंभिक डिकी पुनः सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की मौजूदा स्थिति मंगवाने का निवेदन किया गया क्योकि विभाजन में जो विभिन्न खसरा नम्बरान की भूमि अपीलान्ट को देने का प्रस्ताव किया गया है उक्त आराजी सीमलिया रोड से लगी हुई भूमि है जिस पर अन्य लोगो के मकान दुकाने बनी हुई है। उक्त आराजी अपीलान्ट को देने का प्रस्ताव किया गया है उक्त आराजी मे मकान व दुकाने बनी हुई है उसका विवरण उक्त विभाजन प्रस्ताव मे नही है। उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपीलान्ट को उक्त मकान व दुकानो की आराजी को विभाजन मे दिये जाने का निर्णय एवम डिकी पारित की गई है इससे साफ जाहिर है कि अपीलान्ट को कोई भूमि विभाजन में नहीं मिली है तथा अपीलान्ट को उक्त आराजी देकर अपीलान्ट के हितो पर कुठाराघात किया गया है। जब कि अन्य पक्षकारान को काश्त की भूमि दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही निर्णय एवम डिकी जेर अपील पारित करने मे त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022(1) पेज 135, आर.आर. टी. 2022(2) पेज 988, आर.आर.टी. 2023(1) पेज 77, आर.आर.टी. 2023(1) पेज 477, आर.आर.टी. 2025(1) पेज 707, 219, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 601 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवम डिकी दिनांक 24.12.2024 निरस्त किए जाने तथा उक्त प्रकरण मे पुनः विभाजन रिपोर्ट तलब करवाई जाकर नियमानुसार दुकान व मकान निर्मित भूमि को छोडकर अन्य भूमि एक साथ अपीलान्ट को दिलवाई जाने तदनुसार अंतिम निर्णय व डिकी पारित किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं वाद में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए गए है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया तथा अपीलांट को जारी सम्मन नोटिस की अपीलांट को तामील हो चुकी थी। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की भलीं–भांति जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने

अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिस पक्षकार का जितना हिस्सा वादग्रस्त भूमि में निहित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री में प्रत्येक पक्षकार को उतने ही हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। किसी भी पक्षकार का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से को प्राथमिक डिक्री में परिवर्तित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2024 पक्षकारान के राजस्व अभिलेख में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही पारित की गई है जो विधि सम्मत है। अपीलांट की ओर से प्रश्नगत अपील अंतिम डिक्री दिनांक 25.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2024 उभयपक्षकारान के मोके पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तैयार की गई है। अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2024 प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही पारित की गई है। अंतिम निर्णय व डिक्री में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम अथवा अधिक दर्ज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम निर्णय डिक्री पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। हमारे मत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता

है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2024 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलांट का कथन है कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव संलग्न है। विभाजन प्रस्ताव पर दिनांक 05.07.2024 अंकित है अतः उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.07.2024 को तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कार्यालय भू–अभिलेख निरीक्षक वृत सीमलिया तहसील दीगोद द्वारा जारी सूचना–पत्र की मूल प्रति संलग्न है जिस पर दिनांक 03.07.2024 अंकित है जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने के दो दिवस पूर्व की है। कार्यालय भू–अभिलेख निरीक्षक वृत सीमलिया तहसील दीगोद द्वारा उक्त सूचना–पत्र के प्रेषित किए जाने का कोई क्रमांक अंकित नहीं किया गया है। उक्त सूचना–पत्र में अपीलांट के अलावा अन्य पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित है अतः उक्त सूचना–पत्र दिनांक 03.07.2024 में अपीलांट की तामील होना स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट पृथक से जारी किसी प्रकार के नोटिस/सूचना–पत्र संलग्न नहीं है। अतः हमारे मत में अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.07.2024 पर अपीलांट के अलावा अन्य सभी पक्षकारान की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर अंकित है। अतः हमारे मत में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई तथा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने की कोई जानकारी नहीं थी अतः अपीलांट विभाजन प्रस्ताव के दौरान मोके पर उपस्थित नहीं हो सकी। हमारे मत में प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.07.2024 अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के प्रावधानों के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण है। उक्त त्रुटिपूर्ण रूप से तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रकट की गई इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण रूप से तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2024 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांट एवं अन्य सभी पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार

कोटा

करवाया जाना आवश्यक है। साथ ही विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रस्तुत की गई आपत्तियों का विधि अनुसार निस्तारण करते हुए, राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 32/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं अन्य सभी पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें तथा प्रस्तुत की गई आपत्तियों का विधि अनुसार निस्तारण करने के उपरांत राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.09.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा